



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं० पटना 345) पटना, वृहस्पतिवार, 7 मार्च 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
7 मार्च 2019

एस० ओ० 52, दिनांक 7 मार्च 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं० एस.ओ. 105 दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 564 दिनांक 29 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त संकलित आवर्त निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत की दशा में पचहत्तर लाख रूपए होगा, अर्थात् :-

- (i) अरुणाचल प्रदेश,
- (ii) मणिपुर,
- (iii) मेघालय,
- (iv) मिजोरम,
- (v) नागालैंड,

- (vi) सिक्किम,
 (vii) त्रिपुरा,
 (viii) उत्तराखंड :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम, की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उदग्रहण का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं ।
2.	2106 90 20	पान मसाला ।
3.	24	सभी माल, अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ।

स्पष्टीकरण.-

- (i) इस सारणी में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगी ।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 859)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 डॉ० प्रतिमा,
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

7 मार्च 2019

एस० ओ० 52, दिनांक 7 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 859)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 डॉ० प्रतिमा,
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 7th March 2019

S.O. 52, Dated 7th March 2019.— In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Commercial Tax Department notification no S.O. 105 dated 29th June, 2017, published in Bihar Gazette Extraordinary, *vide* number 564 dated the 29th June, 2017, except as things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9 of the said Act, an amount of tax as prescribed under rule 7 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017:

Provided that the said aggregate turnover in the preceding financial year shall be seventy-five lakh rupees in the case of an eligible registered person, registered under section 25 of the said Act, in any of the following States, namely: –

- (i) Arunachal Pradesh,
- (ii) Manipur,
- (iii) Meghalaya,
- (iv) Mizoram,
- (v) Nagaland,
- (vi) Sikkim,
- (vii) Tripura,
- (viii) Uttarakhand:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala.
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes.

Explanation. –

- (i) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters

as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 859)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 345-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>